न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

वाद संख्या 26 / 12

दायरा दिनांक 26.04.2012

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

सुरेन्द्रसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र श्री श्यामसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल व हाल निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

वादी दोराने दावा फोत

आदेश दिनांक 18.07.2017 से मृत वादी सुरेन्द्रसिंह के स्थान पर स्थापित

1–श्रीमति बलबीरकौर पत्नि सुरेन्द्रसिंह आयु 53 वर्ष जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

2–गुरूमीतसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह आयु 35 वर्ष जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

3–लखबीरसिंह उर्फ सतनामसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह आयु 32 वर्ष जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

वादीगण

बनाम

1–महेन्द्रसिंह पुत्र आयु 65 वर्ष पुत्र श्री श्यामसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां

दोराने दावा फोत

आदेश दिनांक 23.01.2023 से मृत प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के स्थान पर स्थापित

1/1–जागीरकौर पत्नि स्व. महेन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां

1/2–जगरूपकौर पुत्री स्व. महेन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 हाल मुकाम पत्नि राजविन्दर उर्फ राजू जाति जाट सिक्ख निवासी रूपालहेरी तहसील बस्सी पठाना जिला फतेहगढ साहिब (पंजाब)

1/3– जसवीरकौर पुत्री स्व. महेन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 हाल मुकाम पत्नि बलवीरसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी सुहाली तहसील खराड जिला मोहाली (पंजाब)

1/4– सुखविन्दरकौर पुत्री स्व. महेन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 हाल मुकाम पत्नि बलविन्उरसिंह उर्फ बिल्लू जाति जाट सिक्ख निवासी कज्जलमाजरा तहसील बस्सी पठाना जिला फतेहगढ साहिब (पंजाब)

2–जुझारसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह कोम जाट सिक्ख नबालिग जरिये संरक्षक पिता महेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह जाट सिक्ख निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां

3–नछत्तरसिंह पुत्र श्यामसिंह आयु 72 वर्ष जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

4–रणजीतसिंह आयु 36 वर्ष पुत्र बचित्तरसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

5–इन्द्रजीतसिंह आयु 30 वर्ष पुत्र बचित्तरसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

6–स्वर्णकौर आयु 62 वर्ष बेवा बचित्तरसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहाबाद प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,188,183 आर0टी0एक्ट 1955

<u>निर्णय दिनांक– 18.03.2026</u>

उपस्थित

वादी की ओर से – श्री प्रकाशचन्द्र नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादी कम 1, 2 की ओर से – श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट

प्रतिवादी कम 3 ता 6 की ओर से – श्री पंकज शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी कम 7 की ओर से –पेरोकार सरकार

1–वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बांसखेडामाल पटवार क्षेत्र गदरेटा तहसील शाहाबाद की आराजी ख0नं0 219/3 रकवा 0.14 बीघा, ख0नं0 391/549 रकबा 7.00 बीघा, ख0नं0 405 रकबा 0.07 बीघा, ख0नं0 406 रकबा 0.07 बीघा, ख0नं0 407 रकबा 1.16 बीघा, ख0नं0 408 रकबा 0.12 बीघा, ख0नं0 409 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 410 रकबा 0.05 बीघा, ख0नं0 411 रकबा 2.19 बीघा, ख0नं0 412 रकबा 2.01 बीघा, ख0नं0 414 रकबा 4.11 बीघा, ख0नं0 417/530 रकबा 0.12 बीघा, ख0नं0 418/2 रकबा 6.15 बीघा, ख0नं0 420/2 रकबा 1.10 बीघा किता 14 कुल रकबा 30.00 बीघा स्थित है, जिसे वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजी के मूलखातेदार श्यामसिंह वल्द वीरसिंह कोम सिक्ख जाट जो वादी के पिता हैं के खातेदारी की थी, जो जमाबंदी संवत 2049–52 से प्रमाणित है। श्यामसिंह का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है –

श्यामसिंह पुत्र वीरसिंह
मृतक

निछत्तरसिंह | बचित्तरसिंह मृतक | महेन्द्रसिंह | सुरेन्द्रसिंह

बचित्तरसिंह मृतक:
रणजीतसिंह पुत्र | इन्द्रजीतसिंह पुत्र | स्वर्णकौर बेवा

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

श्यामसिंह पंजाब के रहने बाले थे तथा उनकी आराजीयात ग्राम जरखेलाखेडी (पंजाब) तथा बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद में थी, जो उनके द्वारा पैत्रिक आराजीयात से बनाई गई थी, अपनी मृत्यु के बाद कोई विवाद पुत्रों के मध्य न हो इस कारण उनके द्वारा अपनी अंतिम इच्छा के रूप में राजीनामा दिनांक 13.08.1994 को लिखाया जाकर अपनी अंगूठा निशानी की तथा गवाह करनेलसिंह विरक का अंगूठा निशानी गवाह धन्नासिंह के हस्ताक्षर तथा सरपंच गुरूदीपसिंह ब्लाकबस्सी पठाना के हस्ताक्षर करवाये जाकर पंजाबी में लिखवाया गया, जिसका हिन्दी रूपान्तरण करबाया जाकर नोटेरी से प्रमाणित करवाया गया है, जिसके मुताबिक श्यामसिंह द्वारा अपने धर्म से बयान करते हुये ग्राम जरखेलाखेडी की आराजीयातो में सुरेन्द्रसिंह को 27.06.1988 वसीयतनामा करवाया था, असल में यह 15 कनाल 3 मरले जमीन सुरेन्द्रसिंह की थी मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे 4 लडके हैं एक लडका बचित्तरसिंह यह रामबख्श पत्नी की जमीन 45 कनाल खरीदने से पहले ही अलग कमाता खाता है। नछत्तरसिंह महेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह ही इस जमीन के हकदार हैं एवं 45 कनाल के बराबर के हकदार हैं, एवं काबिज 15–15 कनाल जमीन में नछत्तरसिंह एवं महेन्द्रसिंह के खरीद के लगवा दी थी और बाकी 15 कनाल 3 मरले बची है वह मैं इस करके अपने नाम लगवाई थी, यह अभी कंवारा था और एक नामुराद बीमारी का शिकार था जिसको मिर्गी का दौरा कहते हैं और अब यह लडका बिलकुल ठीक है और शादीशुदा है इसकी यह जमीन 15 कनाल 3 मरले में से जो हिस्सा 4 कनाल है मैं इस करके नछत्तरसिंह को दी क्योंकि नछत्तरसिंह राजस्थान बाली जमीन अपना हक छोड चुका है। 4 कनाल महेन्द्रसिंह ने अपने खाते में से 15 कनाल 3 मरले में से नछत्तरसिंह के नाम करबाई है जो कि 8 कनाल दोनो से ले चुका है। राजस्थान बाली जमीन अब महेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह की ही होगी महेन्द्रसिंह के नाम मैं जमीन जिला बारां राजस्थान बांसखेडामाल ग्राम खरीद करके उसके नाम करवा दी जो ख0नं0 391/6 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 420/1 रकबा 1.10 बीघा, ख0नं0 421 रकबा 9.00 बीघा, ख0नं0 421/501 रकबा 16.06 बीघा किता 4 कुल रकबा 31.16 बीघा तथा जो बाकी मेरे नाम की बची उस पर सुरेन्द्रसंह का हीह क है। इस प्रकार 13.08.1994 को लिखाया गया राजीनामा अंतिम इच्छा श्यामसिंह की है। इस प्रकार ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद की आराजी जो वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित है वह गलत रूप से प्रतिवादी कम 1 महेन्द्रसिंह द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 जुझारसिंह के नाम सन 1992 की (13.07.92) वसीयत के आधार पर श्यामसिंह के हिस्से की कुल 14 किता रकबा 30 बीघा आराजी प्रतिवादी क्रम 2 के खाते गलत रूप से दर्ज करा ली है, जबकि मृतक श्यामसिंह के राजीनामा/अंतिम इच्छा 13.08.1994 के मुताबिक उक्त आराजीयात का मालिक खातेदार कृषक वादी है। इस प्रकार प्रतिवादी कम 1 द्वारा गलत रूप से अपने नाबालिग पुत्र प्रतिवादी कम 2 के नाम गलत रूप से 13.07.92 की वसीयत के आधार पर खुलवाये गये इंतकाल कमांक 367 दिनांक 09.02.95 वादी के विरूद्व प्रभावशून्य होने के कारण वादी उसे नल एण्ड वोइड घोषित करावाकर वादपत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

आराजीयात को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

महेन्द्रसिंह जो प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा दिनांक 30.06.1992 को बिना श्यामसिंह की जानकारी के अपने पुत्र जुझारसिंह के नाम वसीयतनामा लिखाकर दिनांक 13.07.1992 को बैंक से ऋण लेने के बहाने से नायब तहसील केलवाडा में लाकर धोखे से अपने नाबालिग पुत्र के नाम वसीयत करवा ली जिसकी जानकारी मृतक श्यामसिंह को अपने जीवनकाल तक कभी भी प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा नहीं बताया गया। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा गलत रूप से अपने नाबालिग पुत्र को लाभ पहुंचाने के लिये श्यामसिंह की जानकारी के बिना कराई गई वसीयत 13.07.92 अवैधानिक एवं प्रभावशून्य होने के कारण मृतक श्यामसिंह द्वारा 13.08.1994 को लिखा गया राजीनामा/अंतिमइच्छा सबसे बाद का है, इसलिये 13.08.1994 से पूर्व मृतक श्यामसिंह द्वारा अगर किसी प्रकार की वसीयत लिखी भी गई है तो वह मृतक श्यामसिंह के द्वारा लिखे गये राजीनामा/अंतिमइच्छा दिनांक 13.08.1994 से स्वतः ही प्रभावशून्य है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 महेन्द्रसिंह द्वारा यह जानते हुये भी कि उनके पिता श्यामसिंह द्वारा चारों भाईयों के मध्य राजीनामा से अपनी अंतिम इच्छा के रूप में 13.08.1994 को ग्राम जरखेलाखेडी (पंजाब) तथा बांसखेडामाल (तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0) का चारों भाईयों के मध्य बंटबारा किया हुआ है उसी के मुताबिक मृतक श्यामसिंह की अंतिम इच्छा के अनुसार अपने हिस्से के मुताबिक ही आराजी प्राप्त कर सकते हैं। इस तथ्य की जानकारी होते हुये भी प्रतिवादी क्रम 1 महेन्द्रसिंह ने अपने नाबालिग पुत्र जुझारसिंह प्रतिवादी क्रम 2 को फायदा पहुंचाने की नीयत से दिनांक 13.07.1992 की वसीयत के आधार पर राजस्व कर्मिचारियों से मिलीभगत कर धोखाधडी से अपने पुत्र जुझारसिंह के नाम इंतकाल क्रमांक 367 दिनांक 09.02.95 से रिकार्ड में अंकन करा लिया है, इसलिये वसीयत दिनांक 13.07.92 तथा इंतकाल क्रमांक 367 दिनांक 09.02.95 वादी के विरूद्व प्रभावशून्य होने के कारण वादी वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने का अधिकारी है।

प्रतिवादी क्रम 3 नछत्तरसिंह व प्रतिवादी क्रम 4, 5, 6 मृतक बचित्तरसिंह के वारिसान हैं, किन्तु उनको मृतक श्यामसिंह के द्वारा लिखे गये राजीनामा/अंतिमइच्छा दिनांक 13.08.94 से किसी प्रकार का एतराज नहीं है किन्तु श्यामसिंह के वारिसान होने से उन्हे वाद में पक्षकार बनाया गया है। श्यामसिंह की बेवा का पूर्व में ही देहान्त हो चुका है। वादपत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित आराजीयात ग्राम बांसखेडामाल पर दोराने वाद प्रतिवादी क्रम 1 व 2 कब्जा करने में कामयाब हो गये तो उन्हे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

वादी द्वारा अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजीयात को प्रतिवादी क्रम 1 से मुनाफा काश्त कराता आ रहा था, किन्तु इस वर्ष की मुनाफा राशि मांगे जाने पर प्रतिवादी द्वारा वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आरजी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा मिलीभगत करके प्रतिवादी क्रम 2 जुझारसिंह के नाम 13.07.92 की पुरानी वसीयत के आधार पर इंतकाल नंबर 367 दिनांक 09.

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

02.95 से खाते दर्ज करा ली है, जिसे वादी निरस्त करवाकर अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है।

राजस्थान सरकार को सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण प्रतिवादी क्रम 7 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी कम 1 से अपने पिता श्यामसिंह की अंतिमइच्छा (राजीनामा) दिनांक 13.08.94 के मुताबिक वादी के नाम वापस दर्ज करवाने के लिये दिनांक 25.01.2012 को अंतिम बार कहने तथा तहसीलदार शाहाबाद से निवेदन करने पर उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने की कहने पर सरकार के प्रतिनिधी के रूप में जिला कलक्टर महोदय बारां को नोटिस देने पर दिनांक 27.01.12 को वादकारण उत्पन्न हुआ। धारा 80(2) सी0पी0सी0 पर वाद पेश है। अतः वाद वादी स्वीकार कर ग्राम बांसखेड़ामाल की वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी कुल किता 14 कुल रकबा 30 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करें। प्रतिवादी कम 1, 2 को बेदखल किया जाकर वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी पर कब्जा वादी को दिलवाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे। खर्चा मुकदमा 5001 रूपये वादी को प्रतिवादी से दिलाये जावें।

2-प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।

3-प्रतिवादी कम 3 ता 6 की ओर से दावे का समर्थन करते हुये इकबाली जबाव प्रस्तुत किया गया कि अपने चारों पुत्रों के मध्य किसी प्रकार का कोई झगडा न हो इसलिये मृतक श्यामसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी अंतिमइच्छा के रूप में एक राजीनामा दिनांक 13.08.94 को लिखाकर गवाहों की गवाही करा कर तहरीर कर दिया, जो सही है, इसी के अनुसार वाद का निस्तारण किया जावे।

4-प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से जबाव प्रस्तुत कर वादपत्र की सभी मद को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियां दर्ज कराई गई कि विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिववादी 3 ता 6 का कोई हक या अधिकार नहीं है। विवादित भूमि श्यामसिंह की स्वअर्जित है, जिसके बावत श्यामसिंह ने प्रतिवादी क्रम 2 के हक में रजिस्टर्ड वसीयत की है, जिसके बावत वादी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। श्यामसिंह ने दिनांक 13.08.94 को कोई राजीनामा या अंतिमइच्छा नहीं लिखी है। वादी द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है, जिससे वादी को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं। श्यामसिंह अपनी मृत्यु के 6 माह पूर्व से अपने घर बांसखेड़ामाल से कहीं बाहर नहीं गये, इस अवधि में वे अस्वस्थ थे और चलने फिरने में तथा बोलने में असमर्थ थे। इस अवधि में प्रतिवादी कम 1 ने ही उनकी देखभाल व सेवा की है। प्रतिवादी क्रम 1 को वाद में सर्वथा गलत तौर पर पक्षकार बनाया गया है, इस कारण वाद में कुसंयोजन का दोष होने से वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी कम 2 को नाबालिग बताकर

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रतिवादी कम 2 बालिग है। गलत जानकारी दिये जाने से वादपत्र चलने योग्य नहीं है। वाद में दर्ज अभिवचनो से वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार व का होने से चलने योग्य नहीं है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी कम 1 गत 12 वर्ष के भी अधिक समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा एवं बेदखली अनुतोष हेतु वाद मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। श्यामसिंह की मृत्यु के 18 वर्ष बाद बिना किसी युक्तियुक्त आधार के फर्जी व अपंजीकृत कूटरचित राजीनामा को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है।

5–प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई –

1.आया ग्राम बांसखेडामाल की आराजी कुल 14 किता रकबा 30 बीघा वादपत्र मद 1 में विवादित आराजी हे उसे वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा कर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल कराने का अधिकारी है। भा.स. वादी

2.आया मृतक श्यामसिंह की अंतिमइच्छा/राजीनामा दिनांक 12.08.94 के मुताबिक वसीयतनामा 13.07.92 तथा उसके आधार पर खोले गये इंतकाल कम 367 दिनांक 09.02.95 को निरस्त कराकर ग्राम बांसखेडामाल की आराजी जो वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित है अपने नाम वादी राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। भा.स. वादी

3.आया वादी दोराने वाद कब्जा करने की स्थिति में प्रतिवादी कम 1 व 2 को बेदखल कराने का हकदार है। भा.स. वादी

4.आया मृतक श्यामसिंह द्वारा चारों पुत्रों के पक्ष में ग्राम जरखेलाखेडी (पंजाब) तथा बांसखेडामाल (तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0) की आराजीयात के बावत एक राजीनामा/अंतिम इच्छापत्र दिनांक 13.08.94 को लिखाया जाकर गवाहान कराई गई जो मृत श्यामसिंह का अन्तिम दस्तावेज है, इससे पूर्व के वसीयतनामा या अन्य दस्तावेज प्रभावहीन है। भा.स. वादी

5.आया दिनांक 13.08.94 को कोई राजीनामा या अंतिम इच्छा नहीं लिखाया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। भा.स. प्रतिवादी कम 1,2

6.आया मृतक श्यामसिंह अपनी मृत्यु के 6 माह पूर्व से ग्राम बांसखेडामाल से कहीं बाहर नहीं गया, बीमार था चलने फिरने बोलने में असमर्थ था। उसकी देखभाल प्रतिवादी कम 1 द्वारा की गई है। भा.स. प्रतिवादी कम 1,2

7.आया वादपत्र सुनने का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होकर सिविल न्यायालय को है। भा.स. प्रतिवादी कम 1,2

8.आया वाद मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। भा.स. प्रतिवादी कम 1,2

9.अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

6–वादीगण की ओर से साक्ष्य में PW 1 श्रीमति बलवीरकौर, PW 2 लखवीरसिंह उर्फ सतनामसिंह तथा PW 3 गुरूमीतसिंह के बयान कराये गये नकल जमाबंदी ग्राम बांसखेडामाल संवत 2065–68 खाता संख्या 87 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी ग्राम बांसखेडामाल संवत 2065–68 खाता संख्या 146 प्रदर्श 2, श्यामसिंह के फोती इंतकाल की नकल प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी ग्राम बांसखेडामाल संवत 2053–56 खाता संख्या 65 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी ग्राम बांसखेडामाल संवत 2049–52 खाता संख्या 134 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रति वसीयत दिनांक 13.07.92 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रति इंतकाल रजिस्टर बस्सी प्रदर्श 7 जिसकी हिन्दी ट्रांसलेट नकल साथ संलग्न है, नकल जमाबंदी वर्ष 2008–09 ग्राम बस्सी तहिसील बस्सी पठाणा पंजाब खाता नंबर 80 प्रदर्श 8 व 9 जिसकी हिन्दी ट्रांसलेट नकल साथ संलग्न है तथा राजीनामा प्रदर्श 10 जिसकी हिन्दी ट्रांसलेट प्रति संलग्न है, पेश किये गये।

7–प्रतिवादी की ओर से DW 1 जुझारसिंह के बयान कराये गये और विक्रयपत्र दिनांक 06.05.81 प्रदर्श 1ए, विक्रयपत्र दिनांक 03.05.82 प्रदर्श 2ए, विक्रयपत्र दिनांक 22.07.82 प्रदर्श 3ए, विक्रयपत्र दिनांक 27.06.82 प्रदर्श 4ए, विक्रयपत्र दिनांक 20.03.82 प्रदर्श 5ए पेश किये गये।

8–वादीगण तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की वहस सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तनकीबार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार है –

1.आया ग्राम बांसखेडामाल की आराजी कुल 14 किता रकबा 30 बीघा वादपत्र मद 1 में विवादित आराजी है उसे वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा कर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल कराने का अधिकारी है। **भा.स. वादी**

2.आया मृतक श्यामसिंह की अंतिमइच्छा/राजीनामा दिनांक 12.08.94 के मुताबिक वसीयतनामा 13.07.92 तथा उसके आधार पर खोले गये इंतकाल कम 367 दिनांक 09.02.95 को निरस्त कराकर ग्राम बांसखेडामाल की आराजी जो वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित है अपने नाम वादी राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। **भा.स. वादी**

तनकी कम 1 व 2 की प्रकृति समान होने से तनकी कम 1 व 2 का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। इन दोनो तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी का है। दावे की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 219/3 रकवा 0.14 बीघा, ख0नं0 391/549 रकबा 7.00 बीघा, ख0नं0 405 रकबा 0.07 बीघा, ख0नं0 406 रकबा 0.07 बीघा, ख0नं0 407 रकबा 1.16 बीघा, ख0नं0 408 रकबा 0.12 बीघा, ख0नं0 409 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 410 रकबा 0.05 बीघा, ख0नं0 411 रकबा 2.19 बीघा, ख0नं0 412 रकबा 2.01 बीघा, ख0नं0 414 रकबा 4.11 बीघा, ख0नं0 417/530 रकबा 0.12 बीघा, ख0नं0 418/2 रकबा 6.15 बीघा, ख0नं0 420/2 रकबा 1.10 बीघा किता 14 कुल रकबा 30.00 बीघा जो प्रदर्श 1 जमाबंदी के अनुसार वर्तमान में प्रतिवादी कम 2 के जुझारसिंह के नाम दर्ज है, उक्त आराजीयात श्यामसिंह वल्द वीरसिंह के खाते की

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

रही है, जो नामा0 नंबर 367 दिनांक 09.02.95 प्रदर्श 3 से वसीयतनामा दिनांक 13.07.92 के आधार पर प्रतिवादी कम 2 जुझारसिंह के नाम दर्ज हुई है।

वादी का आक्षेप है कि प्रतिवादी कम 1 महेन्द्रसिंह ने दिनांक 30.06.1992 को बिना श्यामसिंह की जानकारी के अपने पुत्र जुझारसिंह के नाम वसीयतनामा लिखाकर दिनांक 13.07.1992 को बैंक से ऋण लेने के बहाने से नायब तहसील केलवाडा में लाकर धोखे से अपने नाबालिग पुत्र अर्थात प्रतिवादी कम 2 जुझारसिंह के नाम वसीयत करवा ली, जो श्यामसिंह की जानकारी के बिना कराई गई होने से अवैधानिक एवं प्रभावशून्य है तथा श्यामसिंह द्वारा 13.08.1994 को लिखा गया राजीनामा/अंतिमइच्छा सबसे बाद का है, इसलिये 13.08.1994 से पूर्व मृतक श्यामसिंह द्वारा अगर किसी प्रकार की वसीयत लिखी भी गई है तो वह मृतक श्यामसिंह के द्वारा लिखे गये राजीनामा/अंतिमइच्छा दिनांक 13.08.1994 से स्वतः ही प्रभावशून्य है। इस प्रकार प्रतिवादी कम 1 महेन्द्रसिंह द्वारा यह जानते हुये भी कि उनके पिता श्यामसिंह द्वारा चारों भाईयों के मध्य राजीनामा से अपनी अंतिम इच्छा के रूप में 13.08.1994 को ग्राम जरखेलाखेडी (पंजाब) तथा बांसखेडामाल (तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0) का चारों भाईयों के मध्य बंटबारा किया हुआ है उसी के मुताबिक ही आराजी प्राप्त कर सकते हैं।

वादी तथा प्रतिवादीगण के इस अभिवचन के संदर्भ में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 13.07.92 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 प्रस्तुत की गई है, जिसके जरिये खातेदार श्यामसिंह ने विवादित आराजीयात किता 14 कुल रकबा 30 बीघा को अपने पुत्र के पुत्र जुझारसिंह अर्थात प्रतिवादी कम 2 के नाम पंजीयन कराया है, जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। वादी का कथन है कि दिनांक 13.08.94 को श्यामसिंह द्वारा तहरीर कराया गया राजीनामा/अंतिमइच्छा सबसे बाद का है, जिसमें श्यामसिंह ने अपने चारों पुत्रों के मध्य सम्पत्ति का व्ययन किया है और इस राजीनामा/अंतिमइच्छा के अनुरूप विवादित आराजी का वादी हकदार है। राजीनामा प्रदर्श 10 में श्यामसिंह ने कहीं भी वसीयतनामा प्रदर्श 6 का कोई जिक्र नहीं किया है और ना ही प्रदर्श 10 राजीनामा/अंतिमइच्छा से पूर्व की वसीयत प्रदर्श 6 को प्रभावशून्य घोषित किया है, ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड दस्तावेज वसीयत प्रदर्श 6 पर अविश्वास करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है। यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी श्यामसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसकी वसीयत करने का पूरा कानूनी अधिकार श्यामसिंह को प्राप्त था। रजिस्टर्ड वसीयत प्रदर्श 6 को सक्षम न्यायालय से अवैध घोषित कराये बिना वादी इस न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। वादी यह भी प्रमाणित करने में विफल रहा है कि दस्तावेज वसीयतनामा प्रदर्श 6 को खारिज अथवा अवैध घोषित कराने के लिये वादी ने कभी कोई कार्यवाही की हो या कर रखी हो। इसके अलावा दस्तावेज प्रदर्श 10 राजीनामा/अंतिमइच्छा पर श्यामसिंह के चारों पुत्रों में से किसी के भी कोई हस्ताक्षर नहीं है, जिससे इस दस्तावेज की वैधता संदेहास्पद हो जाती है। अतः तनकी कम 1 व 2 को वादी प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित करने में विफल रहा है, इस कारण तनकी कम 1 व 2 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

3.आया वादी दोराने वाद कब्जा करने की स्थिति में प्रतिवादी कम 1 व 2 को बेदखल कराने का हकदार है।

भा.स. वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी का है। विवादित भूमि श्यामसिंह के खाते व कब्जे की रही है, जो नकल नामा0 नंबर 367 दिनांक 09.02.95 प्रदर्श 3 से प्रतिवादी कम 2 जुझारसिंह के नाम दर्ज हो चुकी है। विवादित आराजी पर वादी ने अपना कब्जा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। इस कारण तनकी कम 3 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

4.आया मृतक श्यामसिंह द्वारा चारों पुत्रों के पक्ष में ग्राम जरखेलाखेडी (पंजाब) तथा बांसखेडामाल (तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0) की आराजीयात के बावत एक राजीनामा/अंतिम इच्छापत्र दिनांक 13.08.94 को लिखाया जाकर गवाहान कराई गई जो मृत श्यामसिंह का अन्तिम दस्तावेज है, इससे पूर्व के वसीयतनामा या अन्य दस्तावेज प्रभावहीन है।

भा.स. वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी का है। वादी का अभिवचन है कि उसके पिता श्यामसिंह ने राजीनामा/अंतिमइच्छा प्रदर्श 10 से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का व्ययन किया है और इस दस्तावेज से पूर्व की वसीयत प्रभावहीन है। दस्तावेज राजीनामा/अंतिमइच्छा प्रदर्श 10 में श्यामसिंह ने कहीं भी वसीयतनामा प्रदर्श 6 का कोई जिक्र नहीं किया है और ना ही प्रदर्श 10 राजीनामा/अंतिमइच्छा से पूर्व की वसीयत प्रदर्श 6 को प्रभावशून्य घोषित किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श 10 को वादी द्वारा राजीनामा एवं श्यामसिंह की अंतिमइच्छा बताया है, परन्तु इस दस्तावेज पर श्यामसिंह के किसी भी वारिसान के कोई हस्ताक्षर अथवा मौजूदगी प्रमाणित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज राजीनामा/अंतिमइच्छा प्रदर्श 10 संदेहास्पद तथा अप्रमाणित प्रतीत होता है। अतः तनकी कम 4 को वादी प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित करने में विफल रहा है, इस कारण तनकी कम 4 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

5.आया दिनांक 13.08.94 को कोई राजीनामा या अंतिम इच्छा नहीं लिखाया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किया है।

भा.स. प्रतिवादी कम 1,2

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी कम 1,2 का है। तनकी कम 1 व 2 के विवेचन के आधार पर दस्तावेज राजीनामा/अंतिमइच्छा प्रदर्श 10 का प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। अतः यह तनकी प्रतिवादी कम 2 के हक में तय की जाती है।

6.आया मृतक श्यामसिंह अपनी मृत्यु के 6 माह पूर्व से ग्राम बांसखेडामाल से कहीं बाहर नहीं गया, बीमार था चलने फिरने बोलने में असमर्थ था। उसकी देखभाल प्रतिवादी कम 1 द्वारा की गई है।

भा.स. प्रतिवादी कम 1,2

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी 1,2 का है। प्रतिवादी का कथन है कि अपनी मृत्यु के 6 माह पूर्व से श्यामसिंह बीमार होकर चलने फिरने बोलने में असमर्थ था, जिसकी

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

देखभाल प्रतिवादी द्वारा की गई है। इस संदर्भ में PW 1 श्रीमति बलवीरकौर पत्नि सुरेन्द्रसिंह ने खुद अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि श्यामसिंह बीमार थे, चलने फिरने में असमर्थ थे, जिनकी मृत्यु ग्राम बांसखेडामाल में हुई है। श्यामसिंह की मृत्यु के 3 माह बाद हम पंजाब चले गये उसके बाद कभी बांसखेडामाल नहीं रहे। अतः यह तनकी प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

7.आया वादपत्र सुनने का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होकर सिविल न्यायालय को है।

भा.स. प्रतिवादी कम 1,2

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी 1,2 का है। विवादित आराजी कृषि भूमि होने से वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। वादी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज वसीयतनामा प्रदर्श 6 के फर्जी, अवैध होने का कथन किया है, इस बावत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये वादी स्वतंत्र है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

8.आया वाद मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

भा.स. प्रतिवादी कम 1,2

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी 1,2 का है। अपने जबावदावे की मद नंबर 6 में प्रतिवादी का कथन है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी 12 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज होकर वहेसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली के अनुतोष हेतु वादी का वाद मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। वादी का वाद मुख्य रूप से घोषणात्मक है और घोषणा के साथ स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली के अनुतोष साइड रिलिफ के रूप में मांगे गये हैं। दावे की मद नंबर 10 में विवादित आराजीयात को प्रतिवादी के खाते दर्ज होने की जानकारी होने पर वादकारण दिनांक 27.01.2012 को उत्पन्न होने का कथन है। इस संदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि वाद वादी को तथ्यात्मक जानकारी होने से अन्दर मियाद है। अतः यह तनकी प्रतिवादी कम 1,2 के विरूद्ध तय की जाती है।

9.अनुतोष

9–इस प्रकार तनकीबार किये गये उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88,89,90,188,183 आर0टी0एक्ट सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी होकर, नियमानुसार पालनार्थ लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

डिकी मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहाबाद

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

सुरेन्द्रसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र श्री श्यामसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल व हाल निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

दोराने दावा फोत

आदेश दिनांक 18.07.2017 से मृत वादी सुरेन्द्रसिंह के स्थान पर स्थापित

1–श्रीमति बलबीरकौर पत्नि सुरेन्द्रसिंह आयु 53 वर्ष जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

2–गुरूमीतसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह आयु 35 वर्ष जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

3–लखबीरसिंह उर्फ सतनामसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह आयु 32 वर्ष जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

वादीगण

बनाम

1–महेन्द्रसिंह पुत्र आयु 65 वर्ष पुत्र श्री श्यामसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां

दोराने दावा फोत

आदेश दिनांक 23.01.2023 से मृत प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के स्थान पर स्थापित

1/1–जागीरकौर पत्नि स्व. महेन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तह0 शाहाबाद जिला बारां

1/2–जगरूपकौर पुत्री स्व. महेन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 हाल मुकाम पत्नि राजविन्दर उर्फ राजू जाति जाट सिक्ख निवासी रूपालहेरी तहसील बस्सी पठाना जिला फतेहगढ साहिब (पंजाब)

1/3–जसवीरकौर पुत्री स्व. महेन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0 हाल मुकाम पत्नि बलवीरसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी सुहाली तह0 खराड जिला मोहाली (पंजाब)

1/4– सुखविन्दरकौर पुत्री स्व. महेन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 हाल मुकाम पत्नि बलविन्उरसिंह उर्फ बिल्लू जाति जाट सिक्ख निवासी कज्जलमाजरा तहसील बस्सी पठाना जिला फतेहगढ साहिब (पंजाब)

2–जुझारसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह कोम जाट सिक्ख नबालिग जरिये संरक्षक पिता महेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह जाट सिक्ख निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां

3–नछत्तरसिंह पुत्र श्यामसिंह आयु 72 वर्ष जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

4–रणजीतसिंह आयु 36 वर्ष पुत्र बचित्तरसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

5–इन्द्रजीतसिंह आयु 30 वर्ष पुत्र बचित्तरसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

6–स्वर्णकौर आयु 62 वर्ष बेवा बचित्तरसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी जरखेलाखेडी डाकघर बस्सी पठाना तहसील बस्सी पठाना जिला फतेगढ साहिब (पंजाब)

7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहाबाद

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,188,183 आर0टी0एक्ट 1955

वाद संख्या 26/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..

व हाजरी..................................मिनजामिन मुद्दई रूबरू...

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88,89,90,188,183 आर0टी0एक्ट सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निज ....मुबलिग..बावत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह...................फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....को अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **18.03.2026** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक			स्टाम्प अर्जीदावा सटाम्प अर्जी मेहनताना बकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद